राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2385877, FAX: 2227602, Toll Free Helpline: 15100)

[E-mail: rj-slsa@nic.in, G-mail: rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in]

क्रमांकः–F3(37)/RSLSA/DS-II/PLV/1512-1546 दिनांकः– 11/4/2018

प्रेषितिः–

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
समस्त राजस्थान।

विषयः– प्रशिक्षण व मासिक बैठक के लिए पीएलवी को मानदेय के भुगतान एवं रिसोर्स पर्सन को मानदेय के भुगतान बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के संदर्भित पत्र 38502–38536 दिनांक 07.02.2018 द्वारा पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को मानदेय व यात्रा व्यय अदा किए जाने के संबंध में जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 38306–38340 दिनांक 07.02.2018 द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित किया गया था कि अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के साथ उनके कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित करेंगे।

कुछ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ पीएलवी की मासिक बैठक में पीएलवी के उपस्थित होने पर मानदेय का भुगतान किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में तथा पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले रिसोर्स पर्सन, न्यायिक अधिकारीगण तथा प्रशिक्षु पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को मानदेय के भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

उपरोक्त चाहे गये दिशा–निर्देशों के संबंध में निम्न निर्देश दिए जाते हैः–

1. पीएलवी को मासिक बैठक में उपस्थित होने पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा, केवल मात्र यात्रा व्यय का ही भुगतान पत्र क्रमांक 38502–38536 दिनांक 07.02.2018 के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. प्रशिक्षु पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को प्रशिक्षण के प्रत्येक दिन के लिए एक दिन का मानदेय दिया जाएगा एवं यात्रा व्यय का भुगतान पत्र क्रमांक 38502–38536 दिनांक 07.02.2018 के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
3. पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले रिसोर्स पर्सन व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को प्रत्येक दिन के प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रुपए 1000/– के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यदि प्रशिक्षण सेवारत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रदान किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार के मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त भुगतान अधिनियम की धारा 4 सी में प्राप्त नाल्सा की ग्रान्ट से किया जाएगा।

सादर,

भवदीय,

(एस.के.जैन)
सदस्य सचिव
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)